Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 48 /2017

Vidya Nand Yadav & Ors..Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.03.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी, पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0-06/2015-16 में दिनांक-19.02.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षो को सुना। प्रस्तुत अपील लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी मीरा देवी का निधन हो जाने के कारण दिनांक-26.09.2018 को प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत करते हुए उनके पति विद्यानंद यादव एवं वैध वारिसानों को प्रतिस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि मौजा गंगापुर, थाना सं0-354, खाता सं0-431/327 खेसरा सं0-1009/2490 में अंकित कुल रकवा 55 डी0 में से अंश रकवा-20 डी0 एवं खेसरा 1010/2490 में अंकित कुल रकवा 1 एकड़ 26 डी0 में से अंश रकवा 15 डी0 अर्थात कुल-35 डी0 भूमि है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी अपने पूर्वजों के समय से ही घर एवं बाड़ी-झाड़ी के रूप में भू-स्वामी के सहमति से दखलकार है। इसके दखल कब्जे के आलोक में बिहार भूदान यज्ञ कमिटि के निदेशानुसार अंचलाधिकारी, बनमनखी के स्थलीय जाँचोंपरांत इनके पक्ष में जमाबंदी दर्ज करते हुए भू-लगान रसीद निर्गत किया गया। इसके पूर्वज स्वयं अपीलार्थी भी अनपढ़ एवं अशिक्षित रहने के कारण इन्हें कोई कागजी जानकारी नहीं थी, जबकि उत्तरवादीगण शिक्षित एवं धुर्त चरित्र के व्यक्ति होने के कारण कर्मचारियों को मेल में लाकर एक मात्र व्यक्ति अचमित साह के नाम 3.70 एकड़ वृहत भू-खंड का भूदान पर्चा गलत तरीके से प्राप्त कर लिया गया है। उक्त रकवा से 35 डी0 भूमि का भूदान पर्चा अपीलार्थी के मृतक पत्नी मीरा	

Web Copy. Not Official.

देवी के नाम से निर्गत है। उक्त भूमि का भूदान पर्चा प्राप्त करने हेतु

क्रमशः

लगातार

20.03.2023

बिहार भूदान यज्ञ कमिटि गर्दनीबाग को आवेदन दिया गया, जिसके समीक्षोपरांत पत्रांक–13च/012–15, दिनांक–07.05.2012 द्वारा जिला भूदान यज्ञ कमिटि रानीपतरा द्वारा विधिवत जाँँचोपरांत एवं दखल कब्जा पाते हुए कुल रकवा 3.70 ए0 में से अंश रकवा 35 डी0 भूमि का उनके पत्रांक–13/011, दिनांक–22.10.2012 द्वारा भूदान प्रमाण पत्र सं0–780579 स्व0 मीरा देवी का नाम दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचलाधिकारी, बनमनखी को भेजा गया। अंचलाधिकारी द्वारा खेसरा सं0–1009/2490 में अंकित कुल रकवा 55 डी0 में से अंश रकवा–20 डी0 एवं खेसरा सं0–1010/2490 रकवा 1.26 ए0 में से 15 डी0 कुल 35 डी0 भूमि का स्व0 मीरा देवी का नाम जमाबंदी कायम करते हुए भू लगान रसीद निर्गत किया गया। अपीलार्थी समाज के कमजोर एवं दबे कूचले श्रेणी के व्यक्ति हैं। प्रश्नगत भूमि पर शांति पूर्वक निवास कर रहे है। उत्तरवादियों द्वारा इन्हें जबरदस्ती भूमि खाली करने का दबाव दिया जाता है। उत्तरवादियों द्वारा निम्न न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया।

इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी के पूर्वज निर्विवादित रूप से लंबे समय से प्रश्नगत भूमि पर दखलकर चले आ रहे है। बिहार भूदान यज्ञ कार्यालय, पटना के निदेशानुसार कार्यालय मंत्री जिला भूदान यज्ञ समिति रानीपतरा, पूर्णिया द्वारा जाँँचोपरांत इन्हें 35 डी0 भूमि विधिवत्त भूदान पर्चा निर्गत किया गया है, जिसके आलोक में इनके पक्ष में जमाबंदी दर्ज करते हुए लगान रसीद निर्गत है। कार्यालय मंत्री जिला भूदान यज्ञ समिति रानीपतरा द्वारा भी अपीलार्थी के पक्ष में निर्गत भूदान पत्र का समर्थन करते हुए इन्हें उक्त भूमि पर निवास करते रहने का अनुरोध भी किया गया है। अपीलार्थी बहुत गरीब एवं अनपढ़ व्यक्ति है जिन्हें निवास एवं जीविकोपार्जन हेतु अन्यत्र कोई अन्य भूमि नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।

दूसरी तरफ उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि 3.70 ए0 भूमि उत्तरवादी सं0–04 एवं 05 के पिता एवं 06,07,08 के दादा अचमित साह को भूदान पर्चा प्राप्त है, जिसमें से 35 डी0

Web Copy. Not Official.

		भूमि अपीलार्थी के नाम अनुचित तरीके से पर्चा निर्गत किया गया है, जिसपर वे दखलकार हैं। उन्हें बेदखल करने हेतु निम्न न्यायालय में वाद सं0-06/2015 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-19.02.2016 क्रमशः	
	लगातार 20.03.2023	को इनके पक्ष में आदेश पारित किया गया है। प्रस्तुत अपील काल बाधित है जो पोषणीय नहीं है। उक्त भूमि भूदाता नंदलाल साह जिला सहरसा द्वारा भूदान यज्ञ समिति को दान में दी गई थी, जिसे विधिवत इनके पूर्वज के नाम प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। उक्त भूमि भूदान अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत सम्पूष्ट है, जिसमें संशोधन भूदान यज्ञ समिति द्वारा नहीं किया जा सकता है। भूदान पर्चा प्राप्त करने के पश्चात भूमि पर दखलकार चले आ रहे है। जिसपर वर्ष 2012 में यह विवापद उत्पन्न हुआ। इनके पक्ष में उक्त भूमि की जमाबंदी सं0-536 दर्ज है तथा अद्यतन भू लगान निर्गत है। अचमित साह के मृत्यु के पश्चात इनके वारिसानों के बीच प्रश्नगत भूमि का बंटवारा कर लिया गया है जिसपर ये दखलकार है। अपीलार्थी द्वारा गलत प्रमाण पत्र के आधार पर दावा किया जा रहा है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। कार्यालय मंत्री जिला भूदान यज्ञ समिति के कार्यालय ने अपने पत्रांक 242 दिनांक 16.11.2018 द्वारा उत्तर पत्र समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रश्नगत खाता खेसरा की कुल रकवा पूर्व भूदान किसान अचमित साह के नाम भूदान प्रमाण पत्र सं0-25541 दिनांक 06.09.1955 द्वारा प्रदान किया गया है उक्त भूमि के अंश रकवा 35 डी0 पर अपीलार्थी का घर बाड़ी सहन के रूप में वर्षो से कब्जा है। उनके अभ्यावेदन पर भूदान अधिनियम की धारा के तहत सम्यक विचारोपरांत अंश रकवा उनके पक्ष में पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र सं0-780579 दिनांक 22.10.2012 निर्गत किया गया। चूकि अपीलार्थी भूमिहीन श्रेणी के अंतर्गत रहने के कारण उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अंचलाधिकारी, बनमनखी द्वारा स्व0 मीरा देवी पति विद्ययानंद यादव के नाम जमाबंदी सं0-1824 कायम करते हुए लगान निर्गत किया गया है। उक्त भूमि सक्षम प्राधिकार द्वारा सम्पूष्टि वाद सं0-1422 दिनांक-20.08.1957 को सम्पूष्ट घोषित की गई है, जिसके प्रश्नगत रकवा पर अपीलार्थी का दखल कब्जा कायम है। इस प्रकार इनकी ओर से निम्न न्यायालय आदेश निरस्त करते हुए	

Web Copy. Not Official.

		न्यायोचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा बिहार भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा भूदान अधिनियम की धारा 11 के तहत संपूष्ट की गई भूमि के पर्चाधारी की क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 20.03.2023	भूमि का रकवा घटाकर पुनः नये व्यक्ति को प्रमाण पत्र देने का अधिकार न होते हुए भी उनके द्वारा अवैध रूप से प्रतिवादी मीरा देवी के नाम पर्चा निर्गत करने तथा अंचलाधिकारी, बनमनखी द्वारा इस अवैध प्रमाण पत्र का नया जमाबंदी सृजित करने के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णय दिया गया है जो नियम संगत है, अतः इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परन्तु बिहार भूदान यज्ञ कमिटि के प्रमाण पत्र की वैद्धता/अवैद्धता के संबंध में निर्णय लेना नियम संगत नहीं है एवं इनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। बिहार भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की वैद्धता/अवैद्धता से संबंधित निर्णय का अधिकार व्यवहार न्यायालय में निहित है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश में आंशिक संशोधन करते हुए ‘‘बिहार भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा वर्ष 2012 में मीरा देवी के नाम से निर्गत प्रमाण पत्र को अवैध घोषित’’ करने के तथ्य को विलोपित किया जाता है। उभय पक्ष चाहे तो भूदान यज्ञ कमिटि से प्राप्त प्रमाण पत्र की वैधता से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.